न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद प्रकारण संख्या 138/2011

1. मनप्रीत सिंह आयु 20 वर्ष] पिसरान श्री विजय सिंह जाति जटसिख
2. हरप्रीतसिंह आयु 19 वर्ष] निवासी 9 वाई तह0 व जिला श्रीगंगानगर

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1. विजय सिंह पुत्र श्री गुरबक्श सिंह जाति जट सिख निवासी 9 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर
3. श्री शाखा प्रबंधक, एस.एस.बी.जे(एस.बी.आई.), कालियां श्रीगंगानगर

– – प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 88, 92ए, 188 राज. काश्त. अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1.	श्री जसवीरसिंह	– – वादीगण
2.	श्री गुरप्रीतसिंह संधु	– – प्रतिवादी 1
3.	पैरोकार राज	– – प्रतिवादी 2

दिनांक :–02 सितम्बर, 2019

–:: निर्णय ::–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता गुरबक्श सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह के नाम से मुरब्बा नम्बर 11 के अलावा अन्य भूमि वाके चक 9 वाई तहसील श्रीगंगागनर में थी। प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के देहान्त होने के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीगण का पिता है, को गुरबक्श सिंह के अन्य वारिसान के साथ मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 1 ता 25 चक 9 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर के जरिए वसीयत बतौर हिन्दू उत्तराधिकार प्राप्त हुई।

वादीगण के प्रतिवादी संख्या 1 को वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजी का हिस्सा जो उल्लेखित किया गया है उन्हे बतौर जद्दी जायदाद प्राप्त हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 की वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित हिस्सा उसका स्वयं खरीद शुदा नहीं है। बल्कि जद्दी जायदाद के नाते उसका यह हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ है। वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 अत्याधिक शराब का सेवन करते है तथा अन्य लोगों के बहकावे में रहते हैं। वादीगण को यह पूरा अन्देशा है कि प्रतिवादी संख्या 1 को कोई भी व्यक्ति शराब पिलाकर वाद पत्र की चरण संख्या 2 में उल्लेखित आराजी का बैयनामा या विक्रय पत्र 6–6 बीघे का करवा लिया। वर्तमान

समय में वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में केवल मात्र 2.656 हैक. वाके चक 9 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर में दर्ज है और मौके पर मुरब्बा नम्बर 1 के किला नम्बर 10 के 15 बिस्वा व किला नम्बर 12 ता 21 कुल 10 बीघा 15 बिस्वा भूमि है। वादीगण के दादा का देहान्त होने के पश्चात उक्त वाद पत्र में आराजी का वर्णित हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हो गया था। इस प्रकार वादीगण का वाद पत्र की चरण संख्या 2 में प्रतिवादी संख्या 1 का जो हिस्सा आया है उसमें वादीगण का हिस्सा बराबर जन्म से ही नियत हो गया है। इसलिए वादीगण यह वाद प्रस्तुत करने के अधिकारी हैं। वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 को जो अपने पिता से मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 1 ता 25 वाके चक 9 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर को प्राप्त हुए थे, में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का 25 बीघा में 1/3–1/3 हिस्सा बनता है क्योंकि वादीगण के पिता को जो आराजी जिसका वाद पत्र में उल्लेख किया गया है बतौर जद्दी जायदाद होने के कारण प्राप्त हुई थी जिसमें वादीगण का जन्म से ही हिस्सा निहित हो गया था। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा उक्त विवादित आराज में था, परन्तु इसके बावजूद भी उसने अपने हिस्से से अधिक दो बार 6–6 बीघे का यानी 12 बीघे का विक्रय कर दिया। इसलिए शेष आराजी जो वर्तमान समय में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में है उसमें उसका कोई हक व हिस्सा नहीं रहता है। इसलिए वादीगण शेष आराजी जिसका वाद पत्र में उल्लेख किया गया है बतौर खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी हैं। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 अपने हिस्से से अधिक आराजी का बेचान कर चुका है। वादीगण का पिता प्रतिवादी संख्या 1 अत्याधिक शराब का सेवन करता है अन्य लोगों के बहकावे में रहता हैं। वादीगण को पूरा अन्देशा है कि प्रतिवादी संख्या 1 को कोई भी व्यक्ति शराब पिलाकर वाद में उल्लेखित आराजी जो वर्तमान समय में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से है इसी दस्तावेज को तहरीर करवा कर अपने नाम से करवा लेंगे। इसलिए वादीगण ने अपने पिता को कई दफा शराब न पीने तथा अन्य व्यक्ति की संगत में नहीं रहने के लिए निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 अत्याधिक शराब का सेवन करने से मानसिक रूप से कमजोर हो गया है और अपना भला–बुरा समझने में असमर्थ हो गया है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से हिस्सा 2.656 हैक है उसाके किसी प्रकार से बेचने बैंक में बंधक रखने तथा किसी को ठेका हिस्सा देने से बाज व ममनू रहे तथा वादीगण के नाम से शेष आराजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराने हेतु सक्षम न्यायालय के यहां ब्यान देवे ताकि शेष आराजी जिसका वाद में उल्लेख किया गया है वादीगण के नाम से हो सके, परन्तु ऐसा करने से कल दिनांक 14.10.2011 को इन्कार हो गया यही वादीगण को वाद हेतुक प्राप्त हुआ है।

प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है, चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 अपने हिस्से से अधिक आराजी का बेचान कर चुका है। इसलिए वादीगण 2.656 हैक. चक 9 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर का बतौर खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी हैं वादीगण द्वारा वाद पत्र निम्न प्रकार से डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

(क) वादीगण को चक 9 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर में मुरब्बा नम्बर 11 में 2.656 हैक. जो वर्तमान समय में किला नम्बर 10 में 15

उपखण्ड ...... (राजस्व)
श्रीगंगानगर

बिस्वा व किला नम्बर 12 ता 21 कुल 10 बीघा 15 का खातेदार घोषित किया जावे तथा खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

(ख) पतिवादी संख्या 1 के खिलाफ इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जावे कि वाके चक 9 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर में मुरब्बा नम्बर 11 में 2.656 हैक. हिस्सा के किला नम्बर 10 में 15 बीघा व किला नम्बर 12 ता 21 कुल 10 बीघा 15 बिस्वा को किसी प्रकार से रेहन बैय अथवा मुन्तकिल करने अथवा किसी बैंक में रहन करने अथवा सरकारी संस्था में रहन करने से अथवा ऋण लेने से बाज व ममनू रहे।

(ग) अन्य अनुतोष जो वादी के हक में हो।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 के सम्मन पर विधिवत तामिल होने पर एवं प्रतिवादी संख्या 1 के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध दिनांक 23.07.2012 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वादग्रस्त आराजी बैंक के रहन होने पर दिनांक 23.07.2013 को बैंक एस.एस.बी.जे. शाखा कालियां को पक्षकार संख्या 3 बनाया गया। प्रतिवादी संख्या 3 के सम्मन पर तामील विधिवत होने एवं न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध दिनांक 03.02.2014 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 9 निमय 7 सी.पी.सी. पेश किया गया जिसे दिनांक 02.02.2017 को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध जारी एकपक्षीय आदेश दिनांक 23.07.2012 को निरस्त किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा को रिकार्ड पर लिया गया। प्रस्तुत जवाब दावा के कथनों के अनुसार वादग्रस्त भूमि किसी प्रकार से जद्दी जायदाद की परिभाषा में नहीं आती है। क्योंकि वादीगण के स्वयं के कथन के अनुसार मन प्रतिवादी को अपने पिता से वसीयत द्वारा प्राप्त हुई है इस प्रकार वसीयत से प्राप्त अराजी किसी प्रकार से जद्दी जायदाद नहीं कहलाती है इसके अलावा जद्दी जायदाद केवल चौथी पीढ़ी में आने पर ही कानूनन बनती है अतः मन प्रतिवादी के जीवनकाल में वादीगण का अराजी जेर बहस में किसी प्रकार से कोई हक हिस्सा नहीं बनता है। यह कहना गलत है कि मन प्रतिवादी शराब सेवन करने का आदि होउं शेष मद केवल काश्त पर निर्भर है तथा केवल काश्त के आधार पर कोई वाद नहीं लाया जा सकता है। मन प्रतिवादी अपना तथा परिवार का जीवन निर्वाह इसी अराजी को काश्त करके कर रहा है। जैसा की ऊपर निवेदन किया जा चुका है कि अराजी जेर बहस जद्दी जायदाद की परिभाषा में नही आती। अतः वादीगण का किसी प्रकार से कोई हक हिस्सा नहीं बनता है। अराजी जेर बहस जद्दी जायदाद नहीं बनता है जिस अराजी का विक्रय किया गया वह परिवार के हित में तथा परिवार की जरूरत जायज के लिए किया गया तथा परिवार पर ही खर्चा किया गया। अतः वादीगण को किसी प्रकार से वाद कारण हासिल नहीं है। यह कहना गलत है कि प्रतिवादी शराब सेवन करने का आदि हो तथा भूमि को मुंतकिल करने की कोशिश में हो जैसा की उपर लिखा गया है कि प्रतिवादी के जीवनकाल में वादीगण का कोई हक हिस्सा नहीं बनता है क्योंकि अराजी चौथी पीढ़ी में नही आती है शेष मद भी गलत होने से स्वीकार नहीं है। मन प्रतिवादी हालांकि आराजी को मुंतकिल नहीं कर रहा है मगर फिर भी वह अपने संवैधानिक अधिकारों के उपयोग उपभोग का कानूनन हकदार है तथा

उसके खिलाफ इस प्रकार का कोई आदेश अथवा डिक्री कानूनन पारित नही की जा सकती जिससे की प्रतिवादी के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो। प्रतिवादी रिकार्डेड खोतदार है अतः उसको अपनी कृषि भमि को हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने का कानूनन हक व अधिकार है, वादी मनप्रतिवादी के जीवन काल में अराजी जेर बहस में से कोई अराजी पाने के अधिकारी नहीं है। अतः वाद गलत तौर से पेश किया गया है, वादीगण का ना तो किसी अराजी पर कब्जा है अतः कब्जा के अभाव में वह धारा 88, 188, 92 ए का दावा लाने के कानूनन अधिकारी नहीं है, वादीगण ने वाद पत्र की किसी मद में उनका कब्जा होने का उल्लेख नहीं किया है। ना तो वादीगण का किसी अराजी पर कब्जा है नाउ ही अराजी जद्दी जायदाद की परिभाषा में आती है तथा ना ही मन प्रतिवादी के जीवनकाल में वादीगण का कोई हक हिस्सा बनता है। अतः चाहा गया अनुतोष कतई गलत होने से दावा वादीगण मय खर्चा खारिज करने के है। वादीगण ने वाद पत्र के साथ हस्ताक्षरयुक्त कोई रजिस्टर्ड पता पेश नहीं किया है इसलिए वाद खारिज करने योग्य है।

स्टेट की ओर से पैरोकार राज द्वारा दिनांक 21.03.2017 को जवाब दावा पेश किया गया जिसमें कथन किया कि उपरोक्त वाद में भूमि के सम्बन्ध में पक्षकारान के मध्य आपसी विवाद है। राज्य सरकार से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। राज्य हितों को मध्य नजर रखते हुए निर्णय पारित किये जाने हेतु आदेशित है।

पक्षकारान् के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये गये :–

1. आया कि प्रतिवादी संख्या एक के नाम से अकित कृषि भूमि तहसील श्रीगंगानगर के चक 9 वाई का मुरब्बा नम्बर 11 की 2.656 हैक्टर किला नम्बर 10 में 15 बिस्वा, 12 ता 21 कुल 10.15 बीघा पैतृक कृषि भूमि है, जिसमें वादीगण का हक व हिस्सा है?

   – – वादीगण

2. आया कि वादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रत्येक 1/3 हिस्सा अधिकारों की घोषणा करवाकर निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?

   – – वादीगण

3. आया कि वादीगण संख्या एक को वादग्रस्त कृषि भूमि अपने पिता से जरिये वसीयत प्राप्त होने के कारण पैतृक की परिभाषा में नहीं आती है ?

   – – प्रतिवादी

4. अनुतोष ?

वादीगण की ओर से गवाह पी.ड.–1 मनजीतसिंह पुत्र श्री गुरबक्श सिंह, पी.ड.–2 मनप्रीत सिंह पुत्र श्री विजय सिंह, पी.ड.–3 गुरमीतसिंह पुत्र श्री गुरबचन सिंह के बयान करवाए गये तथा दस्तावेज प्रदर्श 1 से 3 प्रदर्श करवाये गये। साक्ष्य प्रतिवादी प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात् साक्ष्य प्रतिवादी प्रस्तुत नहीं करने पर दिनांक 14.02.2019 को साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विरचित किये गये विवाद्यकों पर न्यायालय का निष्कर्ष निम्नानुसार है :–

विवाद्यक संख्या 1 व 2 को साबित करने का भार वादीगण पर है। दोनो विवाद्यक परस्पर साक्ष्य से सम्बद्ध होने के कारण साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोष से बचने के लिए इन विवाद्यकों पर एक साथ विचारा किया जा रहा है।

विवाद्यक संख्या 1 व 2

विवाद्यक संख्या 1 व 2 के सम्बन्ध में विद्वान अधिवक्ता वादी का तक है कि वादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से उक्त दोनों विवाद्यक साबित हैं। वादी द्वारा जमाबंदी गांव 9 वाई मोहनपुरा सम्वत् 2064–2067 वास्तविक सम्वत् 2064 प्रदर्श–1, जमाबंदी गांव 9 वाई मोहनपुरा प्रदर्श 2, जमाबंदी गांव 9 वाई मोहनपुरा सम्वत् 2026–2035 प्रदर्श–3 दिनांक 02.11.2018 को प्रदर्शित करवाया गया। वादीगण द्वारा अपने बयानों में प्रदर्श 1 ता 3 के जरिए अपने पिता विजय सिंह को उसके पिता गुरबक्शसिंह को उसके पिता राजेन्द्रसिंह से जरिए जमाबंदी राजस्व इंतकाल विरास्तन प्राप्त होना सिद्ध किया। इसी अनुसार विविद्यक संख्या 1 व 2 वादीगण के पक्ष में निर्धारित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 3

विवाद्यक संख्या 3 को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 पर था, प्रतिवादी संख्या 1 को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई जिससे प्रतिवादी संख्या 1 विवाद्यक संख्या 3 को सिद्ध करने में असफल रहा। इसी अनुसार विवाद्यक संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध निर्धारित किया जाता है।

अनतोष

वर्तमान वाद में विवाद्यक संख्या 1 व 2 वादी के पक्ष में निर्धारित हुए है तथा प्रतिवादी संख्या 1 विवाद्यक संख्या 3 में यह साबित करने में असफल रहा है कि भूमि विरास्तन नहीं है। यद्यपि प्रतिवादी संख्या 1 के भाई ने अपनी साक्ष्य में यह कथन किया कि उक्त भूमि मेरे मेरे दादा से मेरे पिता को, मेरे पिता से वसीयत से मेरे भाई प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई है जबकि भूमि विरास्तन है। लेकिन उक्त ऐसी दशा में प्रतिवादी संख्या 1 इस वाद में वादीगण के विरूद्ध कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवाद्यक के निर्णय एवं पत्रावली पर उपस्थित तथ्यों के आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाता है। वादीगण को चक 9 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर में मुरब्बा नम्बर 11 में 2.656 हैक. जो वर्तमान समय में किला नम्बर 10 में 15 बिस्वा व किला नम्बर 12 ता 21 कुल 10 बीघा 15 का खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार

राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/ गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 02 सितम्बर, 2019 को जारी किया गया।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर (राज.)